Social Science

समकालीन भारतीय ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में गांधी और अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता (स्वतंत्रोत्तर भारत में)

Alok Kumar[1*] and Dr. Ankita Chauhan[2]

[1] Research Scholar, Department of Political Science, Atma Ram Sanatan Dharma College, University of Delhi, New Delhi, India

[2] Assistant Professor, Department of Political Science, Atma Ram Sanatan Dharma College, University of Delhi, New Delhi, India

*Corresponding Author: Alok Kumar

Received 1 Apr 2026; Accepted 12 May 2026; Published 29 May 2026

DOI: https://doi.org/10.64171/JSRD.5.S3.84-89

Abstract

पिछले दो दशकों में महिला सशक्तिकरण पर व्यापक विमर्श के बावजूद, राष्ट्रीय तथा विशेषतः ग्रामीण स्तर पर इसके वास्तविक आयामों और प्रभावशीलता का समग्र विश्लेषण अभी भी सीमित स्तर पर है। प्रस्तुत शोध आधुनिक भारतीय ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण और महिला वस्तुकरण के प्रश्न को एक जटिल सामाजिक यथार्थ के रूप में समझने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि अनेक संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों और मानव अधिकार संबंधी उपायों के बावजूद महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर समान अधिकार और सम्मानजनक स्थान क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है? यह अध्ययन महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। जहाँ डॉ. अंबेडकर महिला असमानता के मूल में जाति व्यवस्था एवं पितृसत्तात्मक संरचना को चिन्हित करते हुए शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, संवैधानिक सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्तिकरण का आधार मानते हैं; वहीं गांधी ने इसे नैतिक शक्ति, सत्य, अहिंसा एवं सामाजिक चेतना के माध्यम से आंतरिक व सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जोड़ा। निष्कर्षतः, यह शोध दर्शाता है कि संवैधानिक अधिकारों के बावजूद पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं, पितृसत्तात्मक सोच और संस्थागत कमजोरियां महिलाओं की वास्तविक प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। यह अध्ययन सामाजिक-आर्थिक संरचना में सुधार, शिक्षा के उद्देश्य का पुनर्मूल्यांकन तथा ग्रामीण जागरूकता के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि महिला सशक्तिकरण को व्यावहारिक और संभावित रूप से स्थापित किया जा सके।

Keywords: महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज, महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, पितृसत्ता, सामाजिक परिवर्तन

1. प्रस्तावना

समकालीन विश्व में महिला सशक्तिकरण का प्रश्न एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकार से जुड़कर एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महिला सशक्तिकरण का आशय महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने और अपने अधिकारों की पहचान तथा समाज के समान भागीदार के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करने से है। भारतीय भू-क्षेत्र में यह विषय और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि हमारे समाज की संरचना ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक रही है, जिसमें महिलाओं की भूमिका को अत्यंत सीमित और नियंत्रित किया गया है। भारतीय संविधान ने महिलाओं के लिए समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार प्रदान किए हैं, फिर भी हमारी सामाजिक परंपराएं और मानसिकताएं इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक तत्व बनकर उभर रही हैं। इसी के संदर्भ में यह शोध समकालीन भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण को डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। दोनों ही विचारकों ने महिलाओं की स्थिति, अधिकार और सामाजिक भूमिका पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया है, किंतु उनके दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है। अंबेडकर ने महिलाओं की असमानता को केवल लैंगिक समस्या नहीं माना, अपितु इसे जातिगत सामाजिक संरचना और पितृसत्ता से जुड़ी बहुआयामी समस्या के रूप में देखा; उन्होंने शिक्षा, संपत्ति के अधिकार, श्रम कानून और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से महिलाओं को वास्तविक समानता प्रदान करने पर बल दिया। इसके विपरीत, गांधी ने महिलाओं को नैतिक शक्ति, सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया तथा उन्हें सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

यहाँ प्रश्न बनता है कि क्या वर्तमान भारतीय समाज इन विचारों को वास्तविक रूप से अपना पाया है? क्या महिला प्रगति केवल सांख्यिकी उपलब्धताओं तक सीमित है? वास्तविकता तो यह है कि आज भी समाज के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ 'वस्तु' के समान व्यवहार किया जाता है, उनका वस्तुकरण करते हुए उन्हें एक सीमित दायरे में बांध दिया जाता है, जहाँ उनकी भूमिका को केवल उपभोग की वस्तु या पारिवारिक दायित्व तक सीमित कर दिया जाता है। बेट्टी फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक "Feminine Mystique" में यह बताने का प्रयास किया है कि समाज महिलाओं से एक विशिष्ट प्रकार के आचरण के पालन करने की अपेक्षा करता है, अर्थात महिला की परिभाषा भी एक पितृसत्तात्मक समाज ही तय करता है। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक विधिक प्रयास (जैसे- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, समान वेतन अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम) किए गए, इसके बावजूद वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4,45,256 मामले दर्ज होना यह दर्शाता है कि आदर्श स्थिति बनाम यथार्थ स्थिति के बीच एक गहरी खाई मौजूद है।

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत शोध की नींव को सुदृढ़ करने के लिए महिला सशक्तिकरण, जेंडर विमर्श और गांधी-अंबेडकर दर्शन से जुड़ी निम्नलिखित महत्वपूर्ण कृतियों की विषय-आधारित समीक्षा की गई है:

Women's Movements in the Global Era: The Power of Local Feminisms(अमृता वसु, 2016)

अमृता वसु ने अपनी पुस्तक "Women's Movements in the Global Era: The Power of Local Feminisms" में यह प्रतिपादित किया है कि महिला सशक्तिकरण कोई थोपी गई वैश्विक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर पारंपरिक सामुदायिक ढांचों और पितृसत्तात्मक वर्चस्व को चुनौती देने से उत्पन्न होती है। उनका केंद्रीय विषय यह रेखांकित करता है कि जब तक जमीनी स्तर पर सामूहिक सामाजिक और राजनीतिक लामबंदी नहीं होगी, तब तक वैश्विक नीतियां धरातल पर प्रभावी नहीं हो सकतीं। यह विचार स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष को समझने के लिए एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है।

हिंदू नारी का उत्थान और पतन (डॉ. बी.आर. अंबेडकर, 2023) [2]

बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी कालजयी कृति "हिंदू नारी का उत्थान और पतन" में भारतीय सामाजिक व्यवस्था के भीतर लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक व धार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पुस्तक यह दर्शाती है कि मनुस्मृति जैसी रूढ़िवादी धार्मिक संहिताओं के प्रभाव से किस प्रकार प्राचीन काल की स्वतंत्र और शिक्षित स्त्री को संपत्ति, ज्ञान और विधिक अधिकारों से वंचित कर स्थायी पराधीनता के चक्रव्यूह में धकेल दिया गया। अंबेडकर का यह दृष्टिकोण वर्तमान ग्रामीण भारत में विधिक अधिकारों की शून्यता और महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के मूल कारणों को उजागर करने में अत्यंत सहायक है।

सत्य के साथ मेरे प्रयोग (एम.के. गांधी, 2022) [5]: महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा "सत्य के साथ मेरे प्रयोग" में अपने वैचारिक विकास और स्त्री शक्ति के प्रति अपने गहरे सम्मान को दर्ज किया है। गांधी जी की मूल सिद्धांत महिलाओं को शारीरिक बल के पैमाने पर आंकने के बजाय उन्हें नैतिक दृढ़ता, करुणा, अहिंसा और असीम आत्मबल की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित करती है। यह पुस्तक यह समझने का माध्यम बनती है कि किस प्रकार गांधी ने महिलाओं के घरेलू गुणों को एक राजनीतिक हथियार (सत्याग्रह) के रूप में रूपांतरित कर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा का नेतृत्व सौंपा।

Dalit Feminist Standpoint and Ambedkar's Legacy (शर्मिला रेगे, 1998): शर्मिला रेगे ने अपने शोध पत्र "Dalit Feminist Standpoint and Ambedkar's Legacy" के माध्यम से अंबेडकरवादी विचारधारा को समकालीन दलित व ग्रामीण नारीवादी परिप्रेक्ष्य से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है। यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं का दमन केवल लैंगिक आधार पर नहीं होता, बल्कि वह 'जाति, वर्ग और जेंडर' के तिहरे और जटिल संरचनात्मक अंतर्संबंधों से संचालित होता है। यह कृति ग्रामीण समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़ी महिला के वास्तविक संघर्षों के मूल्यांकन के लिए इस शोध को एक दिशा प्रदान करती है।

Gandhi's Views on Women (मधु किश्वर, 1985)

मधु किश्वर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन "Gandhi's Views on Women" में समकालीन परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी नारी-दर्शन का एक संतुलित और आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है। पुस्तक का मुख्य सार यह विश्लेषण करता है कि जहाँ एक ओर गांधीवादी असहयोग और सत्याग्रह के कार्यक्रमों ने महिलाओं को देह की स्वायत्तता और सार्वजनिक जीवन में गौरवपूर्ण प्रवेश दिया; वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा प्रतिपादित 'पारंपरिक श्रम विभाजन' और 'मौन कष्ट सहने की क्षमता' को महिमामंडित करना आधुनिक नारीवादी सिद्धांतों के अंतर्विरोधों को भी जन्म देता है।

अध्ययन की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली

प्रस्तुत अध्ययन में गुणात्मक शोध प्रारूप को आधार बनाया गया है, किंतु परिणाम की व्यापकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसमें "मिश्रित शोध पद्धति" (Mixed-Method Approach) का समावेश किया गया है। महिला सशक्तिकरण जैसे जटिल विषय के अन्वेषण के लिए यह दृष्टिकोण अनिवार्य है ताकि ग्रामीण महिलाओं के जमीनी अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझा जा सके। शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- महिलाओं को स्व-अधिकार क्षमता के प्रति जागरूक करते हुए उनके भीतर आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण समाज में उपस्थित लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा अन्य प्रकार के शोषण की पहचान करके उनके ठोस समाधान खोजना।
- यह समझ विकसित करना कि महिलाओं को दिए गए विधिक अधिकार केवल कागजों तक सीमित हैं या वे धरातल पर उनके प्रयोग के स्तर तक पहुँचे हैं।
- समकालीन ग्रामीण समाज में महिलाओं को एक 'वस्तु' की तरह सीमित भूमिका में देखने की प्रवृत्ति का आलोचनात्मक अध्ययन करना।
- वर्तमान ग्रामीण चुनौतियों के संदर्भ में अंबेडकर एवं गांधी के द्वारा सुझाए गए मार्गों की प्रासंगिकता की जांच करना।

प्रतिभागी एवं प्रतिचयन तकनीक

इस अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक डेटा संग्रह के लिए प्रतिभागियों का चयन सोद्देश्य प्रतिचयन तकनीक के माध्यम से किया गया है। यह पद्धति अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि इसमें प्रतिभागियों का चयन उनकी विशिष्ट विशेषताओं, सामाजिक पृष्ठभूमि और ग्रामीण अनुभवों के आधार पर किया गया है। इसके तहत उन विशिष्ट जवाबकर्ताओं को चुना गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका (जैसे- पंचायत प्रतिनिधि) निभा रही हैं या सीधे तौर पर महिला विधिक अधिकारों के क्रियान्वयन से जुड़ी हैं।

डेटा संग्रह की प्रविधियां

विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक (Primary) और द्वितीयक (Secondary) दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है:

प्राथमिक स्रोत

जमीनी सच्चाई को समझने के लिए 30 महिलाओं पर आधारित प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, प्रश्नावली और व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रविधि का उपयोग किया गया है।

द्वितीयक स्रोत

आधिकारिक प्रकाशित राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जैसे- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (PLFS 2025), राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) तथा उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक विधिक दस्तावेजों का गहन विश्लेषण किया गया है।

सैद्धांतिक आयाम एवं वैचारिक विमर्श

सशक्तिकरण के सैद्धांतिक आयाम

महिला विकास सूचकांक (WEI) तथा लैंगिक सूचकांक (GGPI) के मानकों के आलोक में सशक्तिकरण की प्रक्रिया को चार प्रमुख आयामों में विभाजित कर विश्लेषित किया गया है:

- **आर्थिक सशक्तिकरण:** इसका तात्पर्य केवल आय के स्रोतों तक पहुँच मात्र नहीं है, बल्कि वित्तीय निर्णय लेने की स्वायत्तता और आर्थिक संसाधनों के स्वतंत्र उपयोग की क्षमता से है (Malhotra *et al*., 2002; Kabeer, 2001) [20, 18]। सूक्ष्म वित्त (Micro Credit) योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखते हैं (Addai, 2017)। हालांकि, धरातल पर संसाधनों का वास्तविक नियंत्रण आज भी परिवार के पुरुष सदस्यों के पास ही बना हुआ है।
- **सामाजिक सशक्तिकरण:** इसके अंतर्गत महिलाएं परिवार और समाज के नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भागीदारी करती हैं तथा लैंगिक भेदभाव व हिंसा से स्वयं की रक्षा करने में सक्षम होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता अक्सर प्रतिबंधित होती है, जहाँ उन्हें आवागमन, बाजार या चिकित्सा के लिए भी पारिवारिक अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **कानूनी व विधिक सशक्तिकरण:** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित भेदभाव का निषेध) महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बावजूद, विधिक साक्षरता की कमी के कारण घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ इन कानूनों का प्रभावी उपयोग अत्यंत सीमित है (Nayak & Mahanta, 2009)।
- **मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण:** यह उस मानसिक अवस्था को दर्शाता है जहाँ महिला स्वयं को सक्षम और आत्मविश्वासी अनुभव करती है। इसके मूल में नियंत्रण की अनुभूति (Sense of control) और आत्म-प्रभावकारिता (Self-Efficacy) शामिल हैं (Bandura, 1977)। जिन महिलाओं में आत्मसम्मान का स्तर उच्च होता है, वे सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भरता कम कर देती हैं (Rani & Radhika, 2011)।

पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का अंतर्संबंध

भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति का विश्लेषण पितृसत्ता और जाति व्यवस्था के संरचनात्मक अंतर्संबंध के बिना अधूरा है। पितृसत्ता जहाँ पुरुषों के वर्चस्व को स्थापित कर महिलाओं को संसाधनों और निर्णय क्षमता से वंचित करती है; वहीं जाति व्यवस्था जन्म आधारित ऊंच-नीच और सामाजिक गतिशीलता को नियंत्रित करती है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने रेखांकित किया कि जाति की शुद्धता और चतुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने में अंतर्जातीय विवाहों पर प्रतिबंध और महिलाओं की अस्मिता पर कड़ा नियंत्रण सबसे बड़ा हथियार रहा है। बाबा साहब ने अपनी कालजयी रचना "जात-पात का विनाश" में चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थकों पर तीखा सवाल उठाया कि: "क्या स्त्रियों को भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र श्रेणियों में बांटा जाएगा?"। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई समाज योग्यता के सिद्धांत को मानता है, तो उसे महिलाओं को भी समान गुण और क्षमताओं के आधार पर स्थान देना होगा, अन्यथा पारंपरिक रूढ़िवादी धार्मिक नियमावली समाज को लकवाग्रस्त और मुर्दा बना देगी।

विधिक बनाम नैतिक सशक्तिकरण का द्वंद्व

विधिक सशक्तिकरण राज्य द्वारा बाहरी रूप से आरोपित होता है जो तत्काल सुरक्षा और दंड का प्रावधान करता है (जैसे- घरेलू हिंसा विरोधी कानून, समान वेतन अधिनियम)। इसके विपरीत, नैतिक सशक्तिकरण आंतरिक सामाजिक चेतना और मूल्यों में परिवर्तन से आता है, जो दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करता है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि चूंकि हमारा समाज स्वतः इतना संवेदनशील नहीं है कि महिलाओं को नैतिक बराबरी दे सके, इसलिए प्रथमतः कानूनी माध्यम अपनाना अनिवार्य है। कानूनन बाध्यता समाज को धीरे-धीरे जागरूक करेगी, जिससे अंततः महिलाओं को वास्तविक नैतिक सशक्तिकरण प्राप्त होगा।

महिला वस्तुकरण का सिद्धांत

आधुनिक युग में सशक्तिकरण के समानांतर 'वस्तुकरण' की एक अदृश्य प्रवृत्ति भी गहराई से स्थापित हो चुकी है। फ्रेडरिक्सन और रॉबर्ट्स (1997) के वस्तुकरण सिद्धांत (Objectification Theory) के अनुसार, जब महिलाओं को एक पूर्ण मानवीय अस्तित्व के रूप में न देखकर केवल एक 'साधन' या उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है, तो उनके विचार, निर्णय क्षमता और नैतिक अधिकारों को कम करके आंका जाता है। समकालीन अध्ययनों (National Library of Medicine, 2026) से संकेत मिलता है कि महिलाओं का वस्तुकरण अब सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार का हिस्सा बन चुका है। यह असंवेदनशीलता पुरुषों में आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देती है और लैंगिक हिंसा की स्थिति में पीड़िता के कष्ट को कम आंकने की सामाजिक ग्रंथि को जन्म देती है।

अंबेडकर का स्त्री-चिंतन

डॉ. अंबेडकर ने अपने लेखों जैसे "The Rise and Fall of Hindu Women" और "The Woman and Counter Revolution" में स्पष्ट किया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की अधीनता कोई स्वाभाविक स्थिति नहीं बल्कि एक सुनियोजित सामाजिक निर्माण का परिणाम है। उन्होंने प्रमाणित किया कि मनुस्मृति से पूर्व (वैदिक और बौद्ध काल में) स्त्रियों की स्थिति अत्यंत सम्मानजनक थी। बुद्ध कालीन स्त्री की स्वतंत्रता भिक्षुणी मुक्ता के शब्दों से स्पष्ट होती है: "कितना मुक्त जीवन है मेरा"। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके क्रांतिकारी प्रयास निम्नलिखित हैं:

- **शिक्षा नारी सशक्तिकरण का मार्ग:** अंबेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार मानते थे; उनका नारा था—"शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो"। उनका तर्क था कि यदि एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वह पढ़ता है, परंतु जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। उन्होंने नारी को राष्ट्र निर्मात्री माना जिसके जागृत हुए बिना राष्ट्र का विकास असंभव है।

- **विवाह और परिवार नियोजन:** अंबेडकर ने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और आपसी मत व लैंगिक समानता पर आधारित वैवाहिक साझेदारी की वकालत की। वे भारत में परिवार नियोजन के शुरुआती समर्थकों में से थे; उनका मानना था कि अधिक संतानोत्पत्ति से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **प्रसूति अवकाश (Maternity Benefit):** 1928 में मुंबई विधान परिषद के प्रसव लाभ विधेयक का समर्थन करते हुए बाबा साहब ने दृढ़ता से कहा था कि: "यह महिलाओं का अपना अधिकार है जिसकी प्राप्ति उन्हें होनी ही चाहिए"। इसी प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिणाम स्वतंत्रता के बाद मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और संविधान के अनुच्छेद 42 के रूप में सामने आया।
- **हिंदू कोड बिल:** अंबेडकर का उद्देश्य विविध और विरोधाभासी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध कर महिलाओं को विवाह, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों में पुरुषों के समान दर्जा दिलाना था. 11 जनवरी 1950 को उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल दीवानी संहिता की एक सीढ़ी है। संसद में रूढ़िवादी नेताओं के तीव्र विरोध के कारण जब यह बिल पारित नहीं हो सका, तो उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। बाद में, इसी बिल की भावना को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से पूर्णता मिली।

गांधी का दृष्टिकोण

महात्मा गांधी के पूरे जीवन दर्शन का मुख्य उद्देश्य सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर आधारित शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। गांधी युग को नारी जागरण का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उन्होंने स्त्री को 'बंदिनी' से 'विद्रोहिणी' के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया।

सबला नारी

आत्मबल का दर्शन: गांधी जी के अनुसार, नारी को निर्बल कहना गलत है क्योंकि आत्मा कभी निर्बल नहीं होती; पुरुष की शारीरिक शक्ति नारी के आत्मबल के सामने निष्फल हो जाती है (Young India, 1921)। उन्होंने नारी को अहिंसा, करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति माना। गांधी का मानना था कि पुरुष बाहरी व्यवस्था का स्वामी है जबकि नारी आंतरिक व्यवस्था की स्वामिनी है।

कुरीतियों के विरुद्ध नैतिक युद्ध

गांधी जी ने पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए कहा कि चरित्र की रक्षा भीतर से विकसित होनी चाहिए, न कि कपड़ों के बाहरी आवरण से (यंग इंडिया, 3 फरवरी 1927) । उन्होंने दहेज प्रथा को जाति व्यवस्था की देन बताया और दहेज मांगने वाले युवकों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया (हरिजन, 23 मई 1936)। बाल विधवाओं के संदर्भ में उन्होंने 'पुनर्विवाह' के स्थान पर केवल 'विवाह' शब्द का प्रयोग किया (यंग इंडिया, 5 अगस्त 1926). आत्मरक्षा के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमले की स्थिति में नारी को ईश्वर द्वारा दिए गए नाखून और दांतों का उपयोग पूरी शक्ति से करना चाहिए (हरिजन, 1 मार्च 1942)।

गांधीवादी नारीवाद बनाम आधुनिक नारीवाद

मधु किश्वर लिखती हैं कि गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह कार्यक्रमों ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण दिया जहाँ महिलाओं के पारंपरिक गुणों को श्रेष्ठ साहस के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत, आधुनिक नारीवादी विद्वान इसकी आलोचना भी करते हैं। सुजाता पटेल के अनुसार, गांधी की आदर्श महिला की छवि में एक उच्च जातीय और मध्यम वर्गीय पुरुष की सोच निहित थी जो महिला को अनिवार्य रूप से घर के भीतर ही देखना चाहता था (Sujata Patel, 1988)।

अनुभवजन्य स्थिति एवं आंकड़े

प्राथमिक सर्वेक्षण के परिणाम

30 महिलाओं के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर तैयार की गई तालिका के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- **शैक्षिक जागरूकता:** 51.6% उत्तरदाताओं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल 'विवाह के लिए योग्यता' है।
- **कानूनी जागरूकता:** 51.6% ग्रामीण महिलाएं कानूनी अधिकारों के प्रति 'बिल्कुल जागरूक नहीं' हैं।
- **वित्तीय स्वायत्तता:** 77.4% महिलाओं ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए आर्थिक अवसर 'अत्यंत सीमित' हैं।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** 58.1% महिलाओं ने उत्तर दिया कि उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त 'नहीं' है।

द्वितीयक एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रामाणिक आंकड़े

National Family Health Survey (NFHS-5, 2019-21): राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग के 98% विवाहित पुरुषों की तुलना में केवल 32% विवाहित महिलाएं ही रोजगार में संलग्न हैं। नकद आय अर्जित करने वाली महिलाओं में से केवल 18% ही स्वतंत्र रूप से वित्तीय निर्णय लेती हैं, जबकि 14% मामलों में उनकी आय पर पूर्णतः पति का नियंत्रण होता है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 45% महिलाओं का मानना है कि विशिष्ट घरेलू परिस्थितियों (जैसे ससुराल वालों का अनादर) में पति द्वारा पत्नी की पिटाई करना पूरी तरह न्यायसंगत है।

Periodic Labour Force Survey (PLFS 2025 Annual Report): इस नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी दर मात्र 2.1% दर्ज की गई है। हालांकि, यह दर महिला सशक्तिकरण सूचकांक को नहीं दर्शाती, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्याप्त 'प्रच्छन्न/अदृश्य बेरोजगारी' (Disguised Unemployment) को उजागर करती है, जहाँ ग्रामीण महिलाएं बिना किसी वित्तीय मुआवजे या आर्थिक स्वायत्तता के केवल अवैतनिक पारिवारिक कृषि श्रम में संलग्न हैं।

National Crime Records Bureau (NCRB 2022-2023): वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सर्वाधिक 1,40,019 मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (आईपीसी धारा 498-ए) के थे। वर्ष 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कुल 29,909 बलात्कार पीड़िताओं में से 97.2% वयस्क महिलाएं हैं, जिनमें सबसे संवेदनशील और बड़ी हिस्सेदारी (66.0%) 18-30 वर्ष की युवतियों की है, जो आर्थिक मजबूरी और पितृसत्तात्मक आक्रामकता के द्वंद्व को सिद्ध करती है।

निर्णयन: पारिवारिक निर्णयों में केवल 32.3% महिलाएं हमेशा भाग लेती हैं, जबकि 25.8% केवल सलाहकर्ता के रूप में हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध यह प्रतिपादित करता है कि समकालीन भारतीय ग्रामीण धरातल पर आदर्श स्थिति बनाम यथार्थ स्थिति के बीच एक गहरी विसंगति मौजूद है। यद्यपि भारतीय न्यायपालिका ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997), शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017), और विनीत शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) जैसे मील के पत्थर निर्णयों के माध्यम से विधिक सशक्तिकरण का मार्ग सुदृढ़ किया है; तथापि अनुभवजन्य आंकड़े दर्शाते हैं कि केवल कानूनों का निर्माण पितृसत्तात्मक मानसिकता की उन गहरी संरचनात्मक जड़ों को नहीं काट सकता जो ग्रामीण समाज में लैंगिक हिंसा और वस्तुकरण को जन्म देती हैं।

अतः वास्तविक सशक्तिकरण के लिए डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रदान की गई संवैधानिक-प्रशासनिक सुरक्षा और महात्मा गांधी द्वारा दी गई नैतिक व आत्मिक शक्ति का व्यावहारिक समन्वय अनिवार्य है। कानून महिलाओं को अधिकार की ढाल देता है, लेकिन गांधी के विचार समाज को उन अधिकारों को सम्मान के साथ स्वीकार करने की संवेदनशीलता प्रदान करते हैं।

सुझाव

- **कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण (अंबेडकरवादी दृष्टिकोण):** POSH अधिनियम (2013) का कड़ा क्रियान्वयन विश्वविद्यालयों, खेल संघों और असंगठित क्षेत्रों तक अनिवार्य रूप से किया जाए। हिंदू कोड बिल की भावना के अनुरूप पैतृक संपत्ति में महिलाओं के विधिक अधिकारों को लेकर ग्रामीण अंचलों में व्यापक कानूनी साक्षरता अभियान चलाया जाए। दहेज निषेध कानून के तहत सजा को सख्त करना और सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य करना आवश्यक है।
- **न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन में सुधार:** जस्टिस वर्मा समिति के प्रसंग में, थानों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि पीड़ित महिलाएं निर्भय होकर संवाद कर सकें। ऑनलाइन FIR और थानों में सीसीटीवी की उपलब्धता को कड़ाई से लागू किया जाए।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन (गांधीवादी दृष्टिकोण):** स्वामी विवेकानंद के इस कथन को आधार बनाकर कि "जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है", स्कूली पाठ्यक्रमों से लैंगिक पूर्वाग्रहों को हटाया जाए। मीडिया में महिलाओं के वस्तुकरण (Objectification) पर कड़े विनियामक दिशा-निर्देश लागू हों।
- **आर्थिक स्वायत्तता और ग्राम स्वराज:** असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी व सामाजिक सुरक्षा पंजीकरण प्रदान किया जाए। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सूक्ष्म उद्योगों को सीधे मुख्य बाजार से जोड़कर वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता को धरातल पर उतारा जाए, जो गांधीवादी आत्मनिर्भरता का आधुनिक मार्ग है।

संदर्भ सूची

1. अंबेडकर बा. क्रांति और प्रतिक्रांति: बुद्ध अथवा काल मार्क्स आदि (तृतीय संस्करण) में नई एवं प्रतिक्रांति,संपूर्ण वाङ्मय, खंड-7. डॉ अंबेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, 2013।
2. अंबेडकर बी. आर. हिंदू नारी का उत्थान और पतन. गौतम बुक सेंटर दिल्ली, 2023।
3. अंबेडकर बी. आर. जात-पात का विनाश। [डायमंड बुक्स], 2024.
4. भारद्वाज रि., कुमार ध. डॉ. अंबेडकर एक व्यक्तित्व, बहुपक्षीय आयाम।[Apple books], 2017.
5. गांधी एम्. के. सत्य के साथ मेरे प्रयोग। [Lexicon Books], 2022.
6. कीर ध. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जीवन चरित (ग. सर्वे, अनुवादक)। पॉप्यूलर प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996।
7. रतु ना. डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष (शी. बौद्ध, अनुवादक) सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005।
8. Constituent Assembly Debates. New Delhi: Government of India, 1951.
9. Fredrickson BL, Roberts TA. Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychol Women Q. 1997;21(2):173-206.
10. Gandhi MK. Women and Social Injustice. Ahmedabad: Navajivan Publishing House, 1965, p.65.
11. Gandhi MK. Position of Women. Young India. 1921;5(3):118-120.
12. Gandhi MK. Purdah System. Young India, 1927 Feb 3.
13. Gandhi MK. The Curse of Child Marriage. Young India, 1926 Aug 5.
14. Gandhi MK. Dowry System. Harijan, 1936 May 23.
15. Gandhi MK. Woman's Honour and Self-Defense. Harijan, 1940 Jan 14.
16. Gandhi MK. To the Women of India. Harijan, 1942 Mar 1.
17. International Institute for Population Sciences (IIPS). National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21: India Report. Mumbai: IIPS, 2021, 580-586.
18. Kabeer N. Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Dev Change. 2001;30(3):435-464.
19. Kishwar M. Gandhi on women. Econ Polit Wkly. 1985;20(40):1691-1702.
20. Malhotra A, Schuler SR, Boender C. Measuring women's empowerment as a variable in international development. World Bank Workshop on Poverty and Gender. 2002 Jun 28;1(1):5-12.
21. National Crime Records Bureau (NCRB). Crime in India 2022: Statistics Volume-I. New Delhi: Ministry of Home Affairs, Government of India, 2023, 120-145.
22. National Library of Medicine. Objectification of women in contemporary society [Internet]. Bethesda (MD): National Institutes of Health, 2026 [cited 2026 May 19]. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6707629/

23. National Sample Survey Office (NSSO). Periodic Labour Force Survey (PLFS) Annual Report (July 2024-June 2025). New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, 2025.
24. Patel S. Construction of a Hindu woman: MK Gandhi and women's movement in India. Econ Polit Wkly. 1988;23(8):377-381.
25. UN Women. Less than 1 per cent of women and girls live in a country with high women's empowerment and high gender parity [Internet]. New York: UN Women, 2023 Jul [cited 2026 May 19]. Available from: https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2023/07/press-release-less-than-1-percent-of-women-and-girls-live-in-a-country-with-high-womens-empowerment-and-high-gender-parity.